रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022023-243932
CG-DL-E-27022023-243932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 846]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2023/फाल्गुन 8, 1944
No. 846]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2023/PHALGUNA 8, 1944

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

का.आ. 883(अ).—संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और सहयुक्त व्यष्टियों, समूहों, उपक्रमों और ईकाइयों से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में, सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैरा 1 में उपवर्णित आस्तियों की जब्ती, यात्रा- रोक और शस्त्र-प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, व्यष्टियों और ईकाइयों से संबंधित अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा शास्तियों की सूची में संशोधन अधिनियमित किए हैं, तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन अंगीकृत किए है;

और केंद्रीय सरकार, उक्त संशोधनों को प्रभावी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन जारी किए गए आदेश की अनुसूची को पुनरीक्षित करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसची के उपाबंध 1 में "ख. इकाइयों और अन्य समूह" शीर्षक के अधीन पैरा क्यूडीई. 168 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"**क्यूडीई.169 नाम**: इराक और दक्षिण-पूर्वी एशिया में दि लिवांट में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल-एसईए, आईएसआईएल-दक्षिण पूर्वी एशिया)

नाम (मूल लिपि): उपलब्ध नहीं

उर्फः क) इस्लामिक स्टेट पूर्वी एशिया डिवीज़न **ख)** दौलातुल इस्लामिया वलियातुल मशरीक

उर्फ: उपलब्ध नहीं **पता:** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्ध:** 27 जनवरी, 2022 **अन्य जानकारी:** अब मृत इसनिलोन हैपीलोन द्वारा की गई घोषणा के पश्चात जून 2016 में गठित (क्यूडीआई.204)। इराक और दि लिवांट में इस्लामिक स्टेट से सहयुक्त, इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीई.115)। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंकः www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities."

[फा. सं. यू.II/152/32/2021]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 460(अ) तारीख 28 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. 456(अ), तारीख 31 जनवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 27th February, 2023

S.O. 883(E).—Whereas, the Security Council of the United Nations Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted amendments on its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of the Security Council resolution 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to revise the Schedule to the order issued under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to give effect to the said amendments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, namely:–

1. (1) This Order may be called the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Second Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, in the Schedule, in Annexure 1, under the heading "B. Entities and Other Groups", after the paragraph QDe.168 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be inserted, namely:-

"**QDe.169 Name:** Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)

Name (original script): na

A.k.a.: a) Islamic State East Asia Division **b)** Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 27 Jan. 2022 **Other information**: Formed in June 2016 upon announcement by now-deceased Isnilon Hapilon (QDi.204). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.".

[F. No. U.II/152/32/2021]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 460(E), dated the 28th March, 2007 and lastly amended *vide* number S.O.456(E), dated the 31st January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.27 21:29:56 +05'30'